

जायांक 2049

दिनांक 06/12/2024

NON - ENCUMBRANCE CERTIFICATE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

Fee Paid - 1200/-

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 112
प्रमाण पत्र संख्या.....

To, The Branch Incharge, आयेदन पत्र संख्या
Cmara, Dist.,
Harzariya.

जुंकि श्री ने मेरे पास आयेदन किया है कि निम्नलिखित
संपत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।
Week Your Ref No - MAT/HAZARI/2024/11/MR/2024 - 25 Dt 30.11.2024

(आयेदन में दिए गए राज्य विवरण दें।)
इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के
बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0
से ता0 तक तलाशी की गये और ऐसे तलाशी के बाद
निम्न संव्यवहारों अवभारों का पता चला है 1- Mill - CANTONMENT, B. Badar, S. NO - 154,
Wada NO - 76, Plot NO - 1050/4 Area 24 Deci

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
			2012	to	2.12.2024			
				Mill				

- क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें -
- ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो
- ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।


क.प.उ

SAI VISION DEVELOPER

Sanjay Kumar Chua
Proprietor

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने प्रमाण पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर - 

पदनाम - U.D.C.

प्रमाण पत्र को जाँच निम्न व्यक्ति ने किया -

हस्ताक्षर 

पदनाम - + 2

कार्यालय - H/B

जिला अवर निबंधन कार्यालय, हजारीबाग

तारीख 6.12.2024

जिला अवर निबंधक
हजारीबाग
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
06/12/2024

टिप्पणी : इस प्रमाण पत्र में संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। ये आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न विवरण देकर इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रान्जेक्शन्स इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।


2) नियन्त्रण अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा इन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।
विहित फीस की भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जाएगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की, भी विभाग प्रमाण पत्रों में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढुंढे गए ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा तथा किसी भी भूल अथवा छूट के लिए कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा, जिसमें उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का जाँच मैंने स्वयं किया,
जिसमें मुझे कोई अवभार प्राप्त नहीं हुआ।

SAI VISION DEVELOPER


Proprietor